## न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द
**(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :– 27 / 2019 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम / नियम)
दायर दिनांक 18.06.2019
निर्णय दिनांक 18.10.2019

<u>अनवान</u>

राज्य सरकार जरिये श्री रमेश चन्द सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. श्री ललित मूथा पुत्र श्री शंकरलाल मूथा, उम्र 28 वर्ष, (विक्रेता) मैसर्स विशाल ट्रेडिंग, हॉस्पीटल रोड, बापू नगर, देवगढ जिला राजसमन्द
2. श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता उम्र 27 वर्ष (निर्माता मालिक) मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट, एच–37 / 37 ए, सरनाडूंगरी औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार, जयपुर राज.।
3. मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट, एच–37 / 37 ए, सरनाडूंगरी औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार, जयपुर राज.। (निर्माता फर्म)

– विपक्षी

**अन्तर्गत धारा 26 (2) (II) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011**

0 <u>निर्णय</u> 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन/ 2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री रमेश चन्द सैनी ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर मिस ब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी 1. श्री ललित मूथा पुत्र श्री शंकरलाल मूथा, उम्र 28 वर्ष, (विक्रेता) मैसर्स विशाल ट्रेडिंग, हॉस्पीटल रोड, बापू नगर, देवगढ जिला राजसमन्द 2. श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता उम्र 27 वर्ष (निर्माता मालिक) मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट, एच–37 / 37 ए, सरनाडूंगरी औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार, जयपुर राज. । 3. मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट, एच–37 / 37 ए, सरनाडूंगरी औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार, जयपुर राज.। (निर्माता फर्म) जो की रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) के सामान बेचने का कार्य करता है। इनकी दूकान मैसर्स विशाल ट्रेडिंग, हॉस्पीटल रोड, बापू नगर, देवगढ जिला राजसमन्द पर

दिनांक 23.07.2018 को समय 05.00 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहूंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) के पास 30 से 40 लीटर 500–500 एमएल के पैकेट एक कार्टून में आम जनता को विक्री हेतु रखे हुये थे। इसमें मिलावट का शक होने पर 500–500 ग्राम के 4 पैक्ड पैकेट्स वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 320/– रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) पैकेट्स को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना पर अलग–2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.आई – 803 नियमानुसार चारो नमूना सीलड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2018/2608 दिनांक 11.09.2018 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस. / 251/एक्ट/2018/271 दिनांक 14.08.2018 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) मिस ब्राण्ड होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,राजसमन्द ने दिनांक 13.06.2019 को अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है,

को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपना जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया । विपक्षीगण की बहस सुनी गई। अपनी बहस में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा जो खाद्य सामग्री विक्रेय की गई कम्पनी फर्म से जैसा सामान प्राप्त हुआ वहीं मेरे द्वारा विक्रेय किया गया । मेरे द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। सामग्री का मापदण्ड सही नही पाये जाने पर जो निर्माता कम्पनी है सभी जिम्मेदारी उसी की होती है। कम्पनी फर्म द्वारा अवगत कराया कि पैकेटस पर BEST BEFORE SIX MONTTHS FROM PACKAGING की बजाय "BEST BEFORE SIX MONTHS FROM THE MONTH OF PACKAGING" लिखा हुआ था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अन्य विपक्षीगण द्वारा जूर्म स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006, नियम–2011 की धारा 26 (II) के अन्तर्गत उक्त केस में मिस ब्राण्ड रिफा. पॉम ऑयल पैक्ड (श्री श्याम धणी) को विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी संख्या 1. श्री ललित मूथा पुत्र श्री शंकरलाल मूथा, मैसर्स विशाल ट्रेडिंग, हॉस्पीटल रोड, बापू नगर, देवगढ जिला राजसमन्द को राशि 20,000/–(अक्षरे रूपये बीस हजार) एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहनलाल गुप्ता, मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट, एच–37/37 ए, सरनाडूंगरी औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा विस्तार, जयपुर राज. को राशि 30,000/–(अक्षरे रूपये तीस हजार) कुल राशि 50,000/–(अक्षरे पचास हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थो मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि ''न्याय निर्णयन अधिकारी,एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द